



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(A UP GOVERNMENT UNDERTAKING)

संख्या 336 / उ०नि०लि० / मु०म०प्र० / वित्त /

दिनांक 11.08.2010

कार्यालय ज्ञाप

निगम कार्यालय ज्ञाप संख्या 318 / उ०नि०लि० / मु०म०प्र० (वित्त) दिनांक 03.08.2010 द्वारा आदेशित निगम की परियोजनाओं पर अनुरक्षण एवं परिचालन मद में भुगतान की प्रक्रिया के तारतम्य में एतद्द्वारा निम्नवत आदेशित किया जाता है कि :-

- 1- प्रत्येक माह की पाँच तारीख को Priority Register-A तथा Priority Register-B के लम्बित बीजकों की सूची फर्म के नाम, अनुबन्ध/आदेश संख्या खण्ड का नाम तथा धनराशि के साथ भुगतान एवं लेखा कार्यालय तथा परियोजना प्रमुख कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर Display की जायेगी।
- 2- अनुरक्षण एवं परिचालन मद में परियोजना को निर्गत की जाने वाली निर्धारित मासिक राशि में से कितनी राशि Priority Register-A के बीजकों के भुगतान में प्रयोग होगी, के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप कर धनराशि का एक बार निर्धारण कर दिया जाय तथा तदानुसार वह धनराशि प्रत्येक माह परियोजना लेखा प्रमुख द्वारा Priority Register-A के बीजकों के Priority क्रम में भुगतान हेतु प्रयोग की जायेगी। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रमुख द्वारा तुरन्त कार्यालय ज्ञाप कर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 3- परियोजना लेखा प्रमुख द्वारा भुगतान Priority Register-A एवं Priority Register-B के वरीयता क्रम में किया जायेगा। वरीयता क्रम में भुगतान करने के लिए परियोजना प्रमुख के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
- 4- अनुरक्षण एवं परिचालन मद में मुख्यालय से निधि प्राप्त होने पर भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा दो दिन में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- सभी फर्मों से उनके बैंक खाते का विवरण 31.08.2010 तक प्राप्त कर लिया जाये। 01.09.2010 से फर्मों को चेक द्वारा भुगतान न कर धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रान्सफर किया जाये। Proforma Invoice के भुगतान में यह नियम लागू नहीं होगा।

इन निर्देशों का नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० 318 / उ०नि०लि० / मु०म०प्र० (वित्त) दिनांक 03.08.2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं० 336 / उ०नि०लि० / मु०म०प्र० (वित्त)


तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के स्टाफ अधिकारी, उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- निदेशक (वित्त) / निदेशक (तकनीकी) के स्टाफ अधिकारी, उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

Slr

- 3- मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/आर० एण्ड एम०/गानव संसाधन, उ०नि०लि०, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/ II) अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज तापीय परियोजना, उ०नि०लि०, अनपरा/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/पनकी (कानपुर)/हरदुआगंज (अलीगढ़)।
- 5- महाप्रबन्धक (लेखा), उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महाप्रबन्धक (वि० एवं ले०)/उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज तापीय परियोजना, उ०नि०लि०, अनपरा/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/पनकी (कानपुर)/हरदुआगंज (अलीगढ़)।
- 7- मुख्य प्रबन्धक (कैश प्रबन्धन इकाई), उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।


(ए० के० अग्रवाल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)